



Neutral Citation No. - 2026:AHC:10329

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 1219 वर्ष 2026

श्रवण दुबे उर्फ छोटक दुबेआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : अजय कुमार पांडेय, शेषाद्रि त्रिवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : शा.अधि.न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. श्री शेषाद्रि त्रिवेदी, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और श्री दीपक कुमार सिंह, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 158 वर्ष 2025, धाराओं 103(1), 3(5) बी.एन.एस. के अंतर्गत, थाना - हल्दी, जिला - बलिया में, विचारण के लंबित रहने की अवधि में जमानत चाहता है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त लक्ष्मीनारायण चौबे @ छोटे चौबे को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 37566 वर्ष 2025 में दिनांक 13.11.2025 को पारित आदेश के द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि आवेदक का प्रकरण उस सह-अभियुक्त के समान है, जिसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, वह भी समता के आधार पर जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।
5. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि आवेदक को सौंपे गए आपराधिक इतिहास की व्याख्या शपथपत्र में की गई है। आवेदक दिनांक 22.9.2025 से जेल में बंद है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।
6. जमानत की प्रार्थना का विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा बलपूर्वक विरोध किया गया है। तथापि, सह-अभियुक्त के साथ समता के उपर्युक्त तथ्यात्मक पहलू को उनके द्वारा विवादित नहीं किया गया है।
7. प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2020) 11 SCC 648 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध अनेक आपराधिक मामलों का लंबित रहना स्वयं में जमानत देने से इनकार का आधार नहीं हो सकता।
8. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए कथनों, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य, लंबित विचारण तथा इस न्यायालय द्वारा नन्हा पुत्र नभान खा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 Cri.L.J. 938 में पारित निर्णय और उच्चतम न्यायालय द्वारा पारस राम विश्नोई बनाम निदेशक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, MANU/SCOR/22410/2021 में पारित निर्णय के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय द्वारा सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य, (2022) 10 SCC 51 में पारित निर्णय के प्रकाश में, प्रकरण के

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, न्यायालय इस मत का है कि आवेदक इस प्रकरण में जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। जमानत आवेदन समता के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

9. उक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक - श्रवण दुबे उर्फ छोटक दुबे को व्यक्तिगत बंधपत्र तथा प्रत्येक उतनी ही राशि की दो जमानतें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाए। (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा। (iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
10. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।
11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में किए गए अवलोकन किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर स्वतंत्र मत बनाने से प्रभावित नहीं करेंगे।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल) 16 जनवरी, 2026 सिद्धांत

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"